न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 15/2021

1 सुभाषचन्द्र मील पुत्र गणपत सिंह जाति जाट निवासी मीलों की ढ़ाणी तन कटराथल तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रणजीत पुत्र पोखरमल जाति कुमावत निवासी दौलतपुरा कटराथल मुसलमान मोहल्ले के पास तहसील व जिला सीकर।
2 कुरड़ाराम पुत्र पेमाराम जाति कुमावत निवासी कटराथल हॉल निवासी मोहन कॉमरेड के बास के पास दोलतपुरा कटराथल तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

आवेदन अन्तर्गत धारा 94, आदेश 39 नियम 2क
सीपीसी अन्तर्गत आदेश 12 नियम 1,4क सीपीसी
दिनांक 26.10.2021 दिनांक 22.02.2012 विरूद्व
दिनांक 27.10.2021 से जारी।

उपस्थिति :

1. श्री सुभाषचन्द्र मील, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 1-2-24

यह अवमानना प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 22.02.2012 की अवमानना पर प्रस्तुत किया गया है।

बहस प्रार्थी सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने तर्क दिया कि प्रार्थी के द्वारा ग्राम कटराथल में अवस्थित खसरा नम्बर 86,407,409,410,411,412 को बेचान व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु रेस्पोडेंट को जरिये निषेधाज्ञा से पाबन्द कर रखा है जिसमें तारिख पेशी दिनांक 16.11.21 निर्धारित है उक्त सम्बंधित कोर्ट ऑफ कन्टेम्पट का आवेदन का आवेदन इस न्यायालय के समक्ष पेश किया था, उक्त में उक्त खसरों के सम्बंध में स्थगन सम्बंधित अंकित है तथा दिनांक 26.10.2021 से पूर्व 7–8 फिट जमीन निर्माण हुआ था, अप्रार्थीगणों द्वारा अन्यों के सहयोग से उक्त का निर्माण लगभग 11–12 फिट को करके उक्त पर स्लेप डालने की प्रकिया जारी कर रखी अप्रार्थी 1 व 2 तथा अन्यों को होना स्थगन की जानकारी इस न्यायालय जारी समन जो रजिस्टर्डड एडी के जरिये डाक मे भेजा था। जिनकी डिलेवरी कन्फर्म होना, डाक से सम्बंधित जरिये दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्व है तथा दिनांक 26.10.2021 के पश्चात कार्यवाही जारी रखने तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा अन्यों कि तथा निर्माण कार्य की फोटो से उक्त दिनांक के पश्चात किया निर्माण तथा की गयी कार्यवाही विधि विरूद्व तथा जानबुझकर न्यायालय आदेश दिनांक 22.02.2012 के स्थगन की अवहेलना किया जाना दस्तावेजी साक्ष्यों पूर्णतया ताहिद है 1 लगायत 2 व अन्यों का उनके द्वारा किये गये विधि विरूद्व कृत्य से न्यायालय का तथा न्यायालय के आदेश की गरिमा को गिराया है, जिससे न्यायालय से न्याय प्राप्ति की प्रकिया को धूमिल करना भी सिद्व है, तथा अप्रार्थीगण व अन्य न्यायालय को न्यायालय के स्थगन आदेश कुछ नही समझते है तथा प्रार्थी/अपीलांट को 1 व 2 तथा अन्यों के द्वारा

RDL

दिनांक 27.10.2021 से रोजाना जोर देकर ऊंची आवाज में बोलते है न्यायालय कुछ नहीं है तथा इस न्यायालय को कुछ नहीं समझते है तथा समन तामील से क्या हुआ हमारा काम तो जारी है, जिससे ऐसा करने से न्यायालय का सामाजिक स्तर पर घोर अवमान कर रहे है। इसलिए धारा 94 सहित कोर्ट ऑफ कन्टेम्पट पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गयी है। अत आवेदन स्वीकार कर दोषियों के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने तर्क दिया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों से यह प्रमाणित नही होता है कि अप्रार्थी द्वारा स्थगन की अवहेलना कर मौके पर निर्माण कार्य किया गया हो। पत्रावली पर स्थगन से पूर्व की भौतिक स्थिति की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में अवमानना साबित नही है। अवमानना आवेदन खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों से यह प्रमाणित नही होता है कि अप्रार्थी द्वारा स्थगन की अवहेलना कर मौके पर बा–जोत, निर्माण कार्य किया गया हो। पत्रावली पर स्थगन से पूर्व की भौतिक स्थिति की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में अवमानना साबित नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 1-2-24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर